

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग  
आदेश

सं०सं०- 10/निजी-01-1022/2025

पटना/दिनांक-

सुश्री आकांक्षा चौहान (आई0डी0-5705), अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमंडल-04, खजौली का दिनांक-12.09.2025 से दिनांक-02.10.2025 तक कुल-21 (इक्कीस) दिनों के उपभोगित अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 229, 230 एवं 248 (क) के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-209(21) दिनांक-06.02.2026 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता (दिनांक-11.09.2025 तक) के आलोक में उक्त अवकाश की स्वीकृति के उपरांत सुश्री चौहान के अवकाश लेखा में शेष-94 (चौरानबे) दिनों का उपार्जित अवकाश आदेय है।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सरफराज अहमद)  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 10/निजी-01-1022/2025

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-PCFC/IRR/BES/2022/2016-209(21) दिनांक-06.02.2026 एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना के पत्रांक-1215 दिनांक-25.07.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 10/निजी-01-1022/2025

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 10/निजी-01-1022/2025

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खजौली को वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-209(21) दिनांक-06.02.2026 को संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-3186 दिनांक-14.08.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
अनु०-यथोक्त।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1022/2025


पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- सुश्री आकांक्षा चौहान (आई0डी0-5705), अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमंडल-04, खजौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 10/निजी-01-1022/2025 919 पटना/दिनांक- 20/02/2026  
प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को  
विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

  
अवर सचिव (प्रबंधन)।